**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2290**

**05.08.2024 को उत्तर के लिए**

**एनएएफ़सीसी के अंतर्गत धनराशि**

**2290 डॉ. नामदेव किरसान:**
**डॉ. मोहम्मद जावेद:**
**एडवोकेट चन्द्र शेखर:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 2019-2020 से अब तक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के अंतर्गत स्वीकृत/उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएएफसीसी के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी परियोजनाएं आज भी लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार ने एनएएफसीसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रभावकारिता और प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन अथवा मूल्यांकन कराया है;

(घ) सरकार द्वारा एनएएफसीसी के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जैसी मौजूदा योजनओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जलवायु और आपदा अनुकूलता निर्धारण को किस प्रकार एकीकृत किया है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिहं)**

(क): जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) को उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुकूलन संबंधी कार्यकलापों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील है। एनएएफसीसी के तहत, 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 30 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 847.48 करोड़ रूपए है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एनएबीएआरडी) एनएएफसीसी के लिए 'राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एनआईए)' है और एनएएफसीसी के दिशानिर्देशों तथा परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के आधार पर नाबार्ड को किश्तों में परियोजना निधि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 से एनएएफसीसी के तहत स्वीकृत/उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार विभाजन-विवरण निम्नलिखित है:

| वर्ष | विवरण | राशि (रूपये में) |
|---|---|---|
| **2019-20** | स्वीकृत राशि | 33,51,94,996/- |
| | उपयोग की गई राशि | 98,91,22,622/- |
| **2020-21** | स्वीकृत राशि | 42,94,21,558/- |
| | उपयोग की गई राशि | 1,18,67,63,562/- |
| **2021-22** | स्वीकृत राशि | 59,77,08,306/- |
| | उपयोग की गई राशि | 65,63,14,961/- |
| **2022-23** | स्वीकृत राशि | 20,94,53,206/- |
| | उपयोग की गई राशि | 20,39,18,403/- |
| **2023-24** | स्वीकृत राशि | 0/- |
| | उपयोग की गई राशि | 19,40,362/- |
| नोट: शेष राशि, जिसका गत वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग नहीं हो सका, को अगले वर्ष में अग्रेषित किया गया। | | |

(ख) से (घ) कुल 30 एनएएफसीसी परियोजनाओं में से, 18 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है और 12 परियोजनाएं कार्याधीन है। इस मंत्रालय के विकास निगरानी और मूल्यांकन प्रभाग ने डेलॉयट के माध्यम से एनएएफसीसी के तहत 30 परियोजनाओं का तृतीय पक्षकार मूल्यांकन कराया है। इस मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट दिसम्बर 2020 में प्रकाशित हुई।

(ङ) भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एनएपीसीसी) अपने राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से सौर ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता, जल, संधारणीय कृषि, स्वास्थ्य, हिमालयी पारि-तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामरिक सूचना के विशेष क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के उपशमन और अनुकूलन के लिए व्यापक नीतिगत कार्याढांचा प्रदान करती है। एनएपीसीसी का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों में : ''जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, एक समावेशित और संधारणीय विकास कार्यनीति के माध्यम से समाज के कमजोर और संवेदनशील अंगो की सुरक्षा करना'' शामिल है।

******